



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग लखनऊ

संख्या 516 - का०वि०नी० एवं वे०प्र०-29 / पाकालि / 2015-17-वे०प्र०(30)/2002 दिनांक 04 जुलाई, 2015

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की विभिन्न इकाईयों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों, जिन्हें कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं० 03-वे०प्र०-30/पाकालि/2002-17-वे०प्र०(30)/ 2002 दिनांक 02 जनवरी, 2003 एवं तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों, जिन्हें कार्यालय ज्ञाप सं० 370-वे०प्र०-30/पाकालि/2004-17वे०प्र० (30)/2002 दिनांक 20 अक्टूबर, 2004 द्वारा साईकिल भत्ता रू० 50/- प्रतिमाह अनुमन्य है, उन्हें तत्काल प्रभाव, अर्थात् आदेश निर्गतन की तिथि से रू० 100/- प्रतिमाह की दर से साईकिल भत्ता अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. साईकिल भत्ता की अनुमन्यता के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत परिषद/कारपोरेशन आदेशों में उल्लिखित शर्तें यथावत् रहेंगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से।

सं० 516-(1) काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
3. अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०।
4. अध्यक्ष, उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा/केरको, कानपुर।
6. समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता, (स्तर-1 एवं 11), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
8. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
9. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
10. समस्त उप महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
11. अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० पा०का०लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पा०का०लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, बी-17, जे० रोड, महानगर, उ०प्र० पा०का०लि०, लखनऊ।
14. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
15. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
16. अनु सचिव (स०प्र०-लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
17. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ०प्र० पा०का०लि०, लखनऊ।
18. समस्त अधिकारी, कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।
19. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 26 जून, 2015 को सम्पन्न 117(15) बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में।
20. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाइट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(जावेद अहमद) 5/7/15

संयुक्त सचिव (का०वि०नी०)

1